राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं0:—0141—2740837,, फैक्स 0141—2742309, ई मेलः—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः—एफ.4(ई)/(डीजीएस/90)/ अलेसे—III/28 दिनांक :—12.4.2022

आदेश संख्याः— 572/2022—23

श्री लाल बहादुर मित्तल, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर का विभागीय आदेश संख्या 57/2018—19 दिनांक 10.05.2018 के द्वारा स्थानान्तरण कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर से न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, भरतपुर किया गया था। विभाग द्वारा समय—समय पर निर्देशित करने के बावजूद भी आपके द्वारा आदिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है तथा निदेशालय के आदेशों की अवहेलना की गई है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियमों के नियम—13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री लाल बहादुर मित्तल, कनिष्ठ लेखाकार को विभागीय आदेशों की अवहेलना करने के कारण तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में उनका मुख्यालय कोषालय, भरतपुर रहेगा।

श्री लाल बहादुर मित्तल, कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

(राधेश्याम मीणा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः—एफ.4(ई)/(डीजीएस/90)/ अलेसे—III/28 दिनांक :— 12.4.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2 जिला कलक्टर, भरतपुर।
3 कोषाधिकारी, भरतपुर।
4 उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्ठी करने हेतु।
5 श्री लाल बहादुर मित्तल, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर को पालनार्थ।
6 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7 जाँच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
8 रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—III)

F:\letter.docx1003